



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181177

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
6883/2026

असलम अहमद

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	:	चन्दन सिंह, शैलेन्द्र रतन भूषण
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, राज कुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुधा देवी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- 1- आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन सिंह, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 142 सन् 2026, धारा 109(1), 115(2), 351(3), 61(2) बी.एन.एस., थाना-सासनी गेट, जनपद-अलीगढ़ में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक सहित तीन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। एफ.आई.आर. में यह आरोप लगाया गया है कि चोट आवेदक द्वारा कारित की गई थी। कथित घटना दिनांक 17.03.2026 को 19:00 बजे घटित हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 18.03.2026 को 02:00 बजे दर्ज की गई थी। घायल की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया और उसकी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को सलाखों के पीछे रखने के उद्देश्य से बी.एन.एस. की धारा 109(1) गलत रूप से उस पर आरोपित की गई है। वास्तव में, आवेदक के विरुद्ध प्रकरण बी.एन.एस. की धारा 115(2) से आगे नहीं बढ़ेगा। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोहम्मद अनस को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत संख्या 6397 सन् 2026 में पारित दिनांक 09.07.2026 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास को अनुपूरक शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 186/2017, धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना-सासनी गेट, जनपद-अलीगढ़ में दोषमुक्त किया जा चुका है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त अशरफ अहमद को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2026 के निर्णय एवं आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्न की गई है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, तब उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त अशरफ अहमद और मोहम्मद अनस के विरुद्ध कथित दिनांक 21.07.2026 की घटना के संबंध में दिनांक 04.08.2026 को एक और एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। उक्त एफ.आई.आर. मुकदमा अपराध संख्या 350 सन् 2026, धारा 126(2), 352, 115(2), 351(3) बी.एन.एस., थाना-सासनी गेट, जनपद-अलीगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। उपर्युक्त प्रकरण में विवेचना अभी लंबित है। आगे यह प्रस्तुत



किया गया है कि घायल को चोट कारित की गई थी और उसके शरीर पर अत्यधिक रक्तस्राव पाया गया था।

6- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियां सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

7- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 के प्रकरण में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ देना, आदि पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को अभिकथित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है अथवा नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

8- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 676 के प्रकरण में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है अथवा यह एक जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिपूर्ण है, यह आवश्यक नहीं करता कि गिरफ्तारी अवश्य की जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचनाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का अनुपालन नहीं करेगा और उसने वास्तव में, पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

10- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

- (i)- आवेदक-अस्लम अहमद की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित है, उसे विचारण की समाप्ति तक सक्षम न्यायालय के समक्ष, संबंधित थाने के थाना प्रभारी की संतुष्टि पर, समान राशि की दो जमानतों के साथ रुपये 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;
- (ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी के साथ सहयोग करेगा और विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;
- (iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और
- (iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 अगस्त, 2026

नितेंद्र